तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 01.आई मा ग्लास इण्डिया प्रा0लिमिटेड 02.आई माँ विन्डो जरिये प्रो0 बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी धारा 131 136 प्रकरण सख्या 4 /2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2023	पत्रावली आज प्रस्तुत की गई। प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा धारा 131 व 136 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि खरीदा सुदा कब्जासुदा एव बेचाननामे मे बताये अडौस पडौस के अनुसार राजस्व नक्शे मे जहाँ खसरा संख्या 34/52 एवम्र 34/62 की तरमीम की गई जो निरस्त कर उनके स्थान पर खसरा संख्या 34/3 व 34/4 की तरमीम किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी किये गये तथा तहसीलदार लूणी से मौका जॉच रिपोर्ट वास्ते तहरीर जारी की गई। प्रकरण मे तहसीलदार लूणी के पत्र कमांक/भू.अ/2023/571 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत मौका जॉच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तनावडा के लटठा नक्शे मे खसरा नम्बर 34 के समस्त बटा नम्बर की तरमीम लाल पेन से दर्ज नही होना बताया व ना ही खसरा नम्बर 34/3 व 34/4 की तरमीम स्पष्ट अंकित है व खसरा नम्बर 34/3 व 34/4 की नामान्तरकरण संख्या 813 की पुश्त पर भी तरमीम अंकित नही होना बताया गया तथा मौके पर खसरा नम्बर 34/3 व 34/4 के खातेदार के प्रतिनिधि अधिवक्ता दीपाराम चौधरी उपस्थित हुवे, तथा खसरा नम्बर 34/52 व 34/62 के खातेदार अनुपस्थित रहे। खसरा नम्बर 34/3 व 34/4 के वर्णित खातेदार राजस्व रेकॉर्ड अनुसार कानाराम/मेहराराम पटेल व बस्ताराम पु त्र प्रभुराम पटेल सा, धुन्धाडा को मौके पर चारदीवारी निर्माण कर कब्जा काश्त होना बताया गया व बैचाननामे मे वर्णित कृषि ब्लॉक सख्या 14 अनुसार ही मौके पर खसरा नम्बर 34/3 व 34/4 के खातेदार मोके पर काबिज है इसी अनुसार एव पूर्ण मौका फर्द मे नजरी नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा तहसीलदार लूणी द्वारा की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया प्रार्थीगण द्वारा मौका स्थिति/काबिज स्थिति अनुसार तरमीम दुरस्त करवाना चाहते है साथ ही मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा प्रस्तुत किया दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस मे बताया गया जो ऑनलाइन तरमीम की वह गलत तरमीम कि गई तथा वर्तमान कब्जा अनुसार तरमीम किये जाने का निवेदन किया गया। अतः– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम तनावडा के खसरा नम्बर 34/52 व 34/62 के स्थान पर 34/3 व 34/4 की तरमीम जो अशुद्व है उसे शुद्व किया जावे तथा तहसीलदार लूणी की मौका फर्द दिनांक 22.03.2023 को निर्णय का भाग समझा जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। (पुखराज, कंसोटिया)RAS सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (मुहर: उपखण्ड अधिकारी लूणी)	